



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222499
CG-DL-E-16102020-222499

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]
No. 523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

सं. 05/2020-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य”
------	------	--	-------	--------

[फा. सं. 354/135/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2020-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, सा.का.नि. 604(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2020

No. 05/2020-Central Tax (Rate)

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 19B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil.”
------	------	--	-----	-------

[F. No. 354/135/2020 -TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2020-Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2020 *vide* number G.S.R. 604(E), dated the 30th September, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

सं. 05/2020-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 644 (अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1), और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017-

एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 20ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“20ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य”
------	------	--	-------	--------

[फा. सं. 354/135/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

No. 05/2020- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 20B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“20C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil.”
------	------	--	-----	-------

[F. No. 354/135/2020 -TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2020 - Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2020 *vide* number G.S.R. 605(E), dated the 30th September, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

संख्या 05/2020-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 645(अ).—संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की

उप-धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य”
------	------	--	-------	--------

[फा. सं. 354/135/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2020- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

No. 05/2020—Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 19B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil.”
------	------	--	-----	-------

[F. No. 354/135/2020 -TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2020-Union Territory Tax (Rate), dated the 30th September, 2020 *vide* number G.S.R. 606(E), dated the 30th September, 2020.